203

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

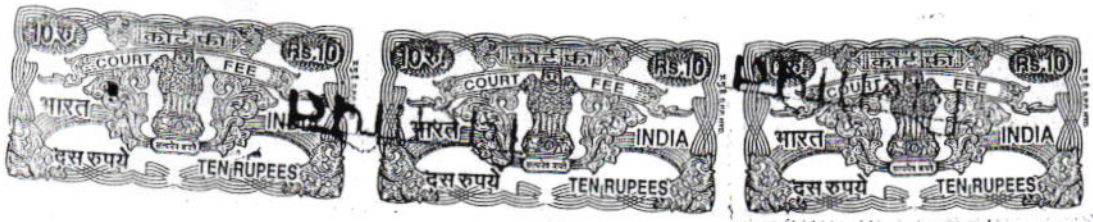

1. बृजेन्द्र प्रसाद तनय श्री जगदीश प्रसाद पाठक

2. सुरेश प्रसाद तनय श्री जगदीश प्रसाद पाठक

दोंनो निवासी ग्राम खड्डा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

----आवेदकगण

विरुद्ध

1. रमेश प्रसाद पाठक तनय श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम खड्डा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

2. कौशल प्रसाद तनय जगदीश प्रसाद पाठक

3. दिनेश प्रसाद तनय जगदीश प्रसाद पाठक

4. रावेन्द्र प्रसाद तनय जगदीश प्रसाद पाठक

5. इन्द्रवती पत्नी केशव प्रसाद

6. चन्द्रमौलि तनय स्व0 केशव प्रसाद

7. इन्द्रमणि तनय स्व0 केशव प्रसाद

8. दीप नारायण तनय स्व0 केशव प्रसाद

सभी निवासी ग्राम खड्डा तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

9. श्रीमती सुशीला उर्फ निर्मला पत्नी नर्वदेश्वर पाठक

10. श्रीमती उमा देवी पत्नी दिनेश प्रसाद शुक्ला तनय स्व0 नर्वदेश्वर प्रसाद पाठक

दोनों निवासी मकान नं-925 गली नं-12 दुर्गा मंदिर के सामने जबलपुर म0प्र0

----अनावेदकगण

सुरेश प्रसाद पाठक

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2324–दो/16 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.7.16	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। अनावेदक केवियेटकर्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव एवं श्री आई0 पी0 द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण को प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने। 2– आवेदकगण ने यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 267/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 25.6.16 के विरूद्व अधिनियम 1959 की धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अदेशों की प्रति एवं प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं । विचारण न्यायालय में बंटनवारा हेतु आवेदन पत्र सुशीलादेवी व उमा देवी ने दिया था । अनावेदक कमांक 1 रमेश प्रसाद ने कोई आवेदन नहीं दिया था। जिस भूमि के बावत आवेदन दिया वह भूमि बटनवारा में सुरसरी प्रसाद को मिली ही नहीं । सुरसरी को सन् 1956 से भाईयों के बीच हुये बटवारे में ग्राम उमरी में हिस्सा मिला था। अन्य ग्राम खाम्हा, खडड्ा व जिवला में हिस्सा नहीं किया था। सुरसरी प्रसाद खानदान के मालिक थे। इनके कोई संतान नहीं थी। इनके चार भाई रीवा से बाहर कमाते थे, लेकिन सहखातेदार के रूप में सभी का ग्राम की भूमियों में नाम था, क्यों कि पिता धर्मदास की मृत्यु के बाद वारिसान नामांतरण सभी भाईयों के नाम हुआ था। सन् 1956 में सुरसरी प्रसाद ने ही हिस्सा बटनवारा अपने व भाईयों के	

बीच किये थे। सुरसरी प्रसाद के कोई औलाद न होने के कारण वे एक ही गांव में हिस्सा ले लिये थे। उनकी देख–रेख व परवरिश सुरेश प्रसाद के द्वारा की जाती थी। इसलिये वे अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि को सुरेश प्रसाद के नाम दज्र व वसीयतनामा अपने होस–हवास में करा दिये थे।

3– तहसील न्यायालय में रमेश प्रसाद ने कोई बटनवारा का आवेदन नहीं दिया। ग्राम जिवला की भूमियों में रमेश प्रसाद को हिस्सा मिला ही नहीं था। पटवारी से मिल मिलाकर फर्जी बटनवारा पुल्ली तैयार कर ली गई, जिसमें पटवारी ने टीप भी दिनांक 9.4.12 को लगाई है। उक्त पुल्ली फर्जी होने से निरस्त की जाती है। पक्षकारों के मध्य दिनांक 25.7.99 को अपासी समझौता एवं बटनवारा लेख प्रमुख प्रशासनिक समिति ग्राम पंचायत खाम्हा व सचिव ग्राम पंचासत खाम्हा, जनपद पंचायत रीवा के समक्ष लिखा गया, जिसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर बने हैं । विचारण न्यायालय के प्रकरण के आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल अधिवक्ता के हस्ताक्षर बने हैं और नौ दिवस की पेशी लगाई गई। विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका की आठ पेशी लगाई गई। विचारण न्यायालय की ओदश पत्रिका की आठ पेशी एक ही तारीख में लिखी गई है। एक समान स्याही व एक ही समान लिखावट, जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने तहसील में सुनवाई संबंधित प्रकिया का अनुसारण नहीं किया, जब कि बटनवारा प्रारूप 'ख' का प्रकाशन होना चाहिये । तहसील न्यायालय ने ऐसा नहीं किया जिस कारण अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ ने विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया है, लेकिन इन सब तथ्यों को द्वितीय अपीलीय न्यायालय को देखना चाहिये। द्वितीय न्यायालय में सिर्फ रमेश प्रसाद ने अपील किया है। जबकि बटनवारा का आवेदन तहसील न्यायालय में पेश

नहीं था, सिर्फ फर्जी बंटनवारा पुल्ली तैयार करा लिया था । ऐसी स्थिति में रमेश प्रसाद को प्रथम अपील न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का हक व अधिकार ही नहीं था, क्योंकि रमेश प्रसाद को पूर्व में जो हिस्सा बटंनवारा हुआ, उसमें ये भूमियॉ मिली ही नहीं । इन सब दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि जिवला की भूमियों के बटंनवारा की पुल्ली जो दस्तावेज के साथ प्राशर्द पी–1 है उसी के अनुसार तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के न्यायालय में रमेश को छोड़कर सभी की सहमति दी गई थी । इन सब तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालयों को देखकर निर्णय देना चाहिये । दिनांक 13.03.2000 को नामांतरण पंजी में प्रस्ताव क्र0 04 निर्णय दिनांक 16.04.2000 के द्वारा भूमियों का बटनवारा किया गया है । विवादित भूमि में रमेश प्रसाद का कोई हक व हिस्सा प्रथम दृष्टया प्रदर्शित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई कायम रखने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय को भूमियों की मौके की कब्जा की स्थिति को भी ध्यान में रखकर आदेश देना चाहिये ।

4/ अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.06.2016 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान को प्रादर्श पी–1 दिनांक 18.07.16 के अनुसार बटनवारा किये जाने का आदेश दिया जाता ह । उभयपक्ष सूचित हो । ततःपश्चात प्रकरण दा0द0 हो ।

सदस्य